

10



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

0141-2716402 : commissionerwe.wcd@rajasthan.gov.in : wcd.rajasthan.gov.in



क्रमांक:- एफ. 1(1)(124) निमअ/स्था/2018/पार्ट-2/29323 जयपुर, दिनांक : 17.9.21

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा जारी सुपरवाईजर (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती-2018 का परिणाम दिनांक 09.09.2021 में गैर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त रहे पदों पर 15 अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन किया जाना है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की गहनता से जाँच के लिए बोर्ड द्वारा दिनांक 22.09.2021 को आमंत्रित किया गया है।

अतः बोर्ड के पत्र के अनुसार इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों से उनकी पात्रता की गहनता से जाँच कर पात्र/अपात्र की स्पष्ट अभिशंषा हेतु निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार जाँच समिति गठित की जाकर अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है एवं समन्वयक अधिकारी उप निदेशक (संस्थापन), महिला अधिकारिता रहेगी :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	दिनांक एवं कक्ष नं.
प्रथम जाँच दल		
1	श्री जगदीश जाजू, उप निदेशक (प्रशासन एवं प्रशिक्षण), जाँच दल प्रभारी	22.09.2021, प्रातः 10:00 बजे से प्रथम तल, कक्ष नं 01
2	श्री शेखर लुहाडिया, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	
3	श्री अथर हुसैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	
4	श्री रामजी लाल सामरिया, सेवानिवृत कार्मिक	
द्वितीय जाँच दल		
1	डॉ. जगदीश प्रसाद, राज्य समन्वयक (एसआरसीडब्ल्यू), जाँच दल प्रभारी	22.09.2021, प्रातः 10:00 बजे से प्रथम तल, कक्ष न 03
2	श्री रामदयाल योगी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	
3	श्री अजय कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक	
4	श्री रमेश चन्द्र बैरवा, सेवानिवृत कार्मिक	

(डॉ. आभा जैन)

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

क्रमांक:- एफ. 1(1)(124) निमअ/स्था/2018/पार्ट-2/29384-95 जयपुर, दिनांक : 17.9.21

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता मुख्यालय।
2. निजी सचिव, सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री.....
5. सुरक्षा प्रहरी, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.